

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की
दिनांक-12.05.2026 को समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति**

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गौधी सभागार कलेक्ट्रेट में दिनांक 12.05.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें-

- श्री अनुराग गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री अरविन्द कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री शिवम यादव, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेधज टेक्नोकॉन्सेप्ट, कलस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्रीराजमुनि यादव, जिला समन्वयक, जिला परियोजना, प्रबन्धन इकाई, फतेहपुर।
- श्रीमती स्वाती अवस्थी, सी०बी० एण्ड टी० कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना, प्रबन्धन इकाई, फतेहपुर।
- श्री प्रदीप कुमार सिंघल, डी०जी०एम०, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रो० मैनेजर, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री लखेन्दर सहनी, मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री सुभाष कुमार, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा, जनपद यूनिट फतेहपुर।

समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत करायें गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	आवृत्ति ग्रामी की संख्या	कुल योजना	नलकूप		पम्पहाउस		बाउण्ड्रीवॉल		सोलर		विद्युत		शिरोपरि जलाशय	
				लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	मे० पावरमेक-मे० भूस्थानम (जे०वी०)	733	425	452	451	452	351	452	328	341	209	111	90	427	205
2	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	122	67	77	73	77	69	77	70	39	31	38	19	68	32
3	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)/ सबलेट्स	325	170	190	190	190	182	190	179	161	132	29	27	170	113
	कुल योग	1180	662	719	714	705	602	719	577	541	378	178	130	665	350

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	आवृत्ति ग्रामी की संख्या	कुल योजना	गृह संयोजन			रेगुलर वाटर सप्लाई (योजना)		हर घर जल प्रमाणीकरण		पाइप लाइन		रोड रेस्टोरेशन	
				लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य (कि०मी०)	प्राप्ति (कि०मी०)	कुलग्राम लक्ष्य	प्राप्ति
1	मे० पावरमेक-मे० भूस्थानम (जे०वी०)	735	425	242945	222328	91.51	425	155	733	81	5345	5095	733	280
2	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	122	67	43771	40747	93.09	67	20	122	12	954	891	122	65
3	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)/ सबलेट्स	325	170	90876	89959	98.99	170	101	325	87	1528	1517	325	150
	कुल योग	1180	662	377592	353034	93.49	662	276	1180	180	7827	7503	1180	495

उक्त प्रस्तुत विवरण के सापेक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्थावार समीक्षा कर निम्न निर्देश दिये

1. **मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0)**—मे0 गायत्री रैमकी का 190 नलकूप का कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। अधोहस्ताक्षरी महोदया द्वारा गायत्री रैमकी के उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर श्री लखेन्दर सहनी से सभी 190 बोरिंग किये जाने पुष्टि के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तो स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका। टी0पी0आई के डी0पी0एम0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड तेलियानी के सूपा पेयजल योजना की बोरिंग फेल हो चुकी है जिस पर कार्यदायी संस्था के द्वारा गलत सूचना देने पर कड़ा शेष व्यक्त किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि संस्था से स्पष्टीकरण लिया जाये एवं ब्लैकलिस्ट करने हेतु संस्तुति कर दी जाये। संस्था की ओर से गायत्री रैमकी द्वारा 190 के सापेक्ष 182 पम्पहाउस पूर्ण किया जाना बताया गया है, यह भी अवगत कराया गया कि 170 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 159 पेयजल योजनाओं में सोलर/विद्युत लगा दिया गया है। जबकि 101 योजनाओं में ही पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। शेष 68 योजनाओं में पानी क्यों नहीं चल रहा है स्पष्ट किया जाये तथा पिछले 1 माह में 7 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति किया जाना अवगत कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिए गए कि जून माह तक उन सभी 159 योजनाओं में नियमित जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें एवं संस्था द्वारा लिखित रूप से कार्ययोजना ले ली जाये।

सभी 170 योजनाओं में जून माह तक खोदी गई सड़को को मोटरबल बना दिया जाये तथा उसकी फोटोग्राफ सहित सूचना दी जाये। मरम्मत के अभाव में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म द्वारा अभी तक जनप्रतिधियों से किसी एक भी योजना का लोकार्पण/निरीक्षण नहीं कराया गया है। इसे अविलम्ब कराया जाये। संशोधित डेटा प्रोजेक्ट मैनेजर के हस्ताक्षर से लेकर प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व मे0 गायत्री रैमकी (जे0वी0))

2. **मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा**—मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा 67 योजनाओं में 77 बोरिंग के सापेक्ष 73 बोरिंग किया जाना बताया गया है शेष 4 बोरिंग खारे पानी आदि के कारण अवशेष है। संस्था द्वारा 50 योजनाओं में सोलर/विद्युत का कार्य पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है जबकि जलापूर्ति 20 योजनाओं में ही की जा रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि मई माह में 08 योजनाओं में और जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, शेष 22 नग पेयजल योजनाओं में जून, 2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में सोलर/विद्युत का कार्य हो चुका है उन योजनाओं में जलापूर्ति जून, 2026 तक प्रारम्भ कर ली जाये। 77 पम्प हाउस के सापेक्ष 69 पम्पहाउस का कार्य पूर्ण बताया गया। 65 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का किया जाना दर्शाया गया है शेष ग्रामों में जून माह तक सड़को को मोटरबल कर दिया जाये।

(कार्यवाही—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0))

3. **मे0 पावरमेक— मे0 भूरधनम (जे0वी0)**—425 योजनाओं में 452 बोरिंग लक्ष्य के सापेक्ष 451 का कार्य किया जाना बताया गया है। पावरमेक भूरधनम (जे0वी0) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 1 योजना रेवारी बुजुर्ग विकास खण्ड मलवा में खारा पानी के कारण बगल के गांव रामपुर खुर्द में भूमि उपलब्ध कराई गई जिसमें शीघ्र ही बोरिंग कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। 299 योजनाओं में विद्युत/सोलर का कार्य पूर्ण किया जाना बताया गया है जबकि जलापूर्ति 155 योजनाओं में की जा रही है। निर्देशित किया गया कि जून माह में 35 और योजनाओं में जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अवशेष सभी योजनाओं में मध्य अगस्त तक कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य योजना प्रो0 मैनेजर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की जाये। रोड रेस्टोरेशन 280ग्रामों में पूर्ण किया जाना बताया गया है जून में सभी ग्रामों की सड़को को मोटरबल कर दिया जाये। इसकी कार्ययोजना लिखित रूप में प्रस्तुत की जाये। योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जाये यदि कोई गड़बड़ी पायी जाये तो उसकी सूचना दी जाये।

(कार्यवाही—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व मे0 पावरमेक— मे0 भूरधनम (जे0वी0))

4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों का कनेक्शन पूर्ण किया जाये तथा जिनका कनेक्शन हो चुका है उनका आधार लेकर डेटा फीड किया जाये।

(कार्यवाही—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

5. सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, बारात घर, सार्वजनिक शौचालय व अन्य सभी सार्वजनिक भवनों में पेयजल का कनेक्शन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा जिन सरकारी भवनों में जलापूर्ति हो रही है, उसकी सूचना दी जाये।

(कार्यवाही—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि Critical NC प्रकरणों को गुणतापूर्ण ढंग से एक माह में निस्तारित किया जाये। पावरमेक भूस्थान के प्रो० मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों वाली संयुक्त पेयजल योजनाओं में जिन ग्राम पंचायतों में टंकी नहीं बन रही है या वहाँ के ग्रामीणों द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। उक्त प्रकरण में निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में एक से अधिक ग्राम पंचायतें हैं एवं उक्त ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ है, उन योजनाओं का निरीक्षण कर कर अन्य ग्राम पंचायतों को जहाँ अन्य ग्राम पंचायतें कार्य करने में अवरुद्ध उत्पन्न कर रही हैं, उन्हें जलापूर्ति वाली ग्राम पंचायतों का उदाहरण देकर विश्वास में लिया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

7. सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि अवशेष हाउस होल्ड कनेक्शन में तेजी लायें तथा छोटे-छोटे अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें। अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया निर्माणाधीन परियोजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जाँच करें तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अवगत कराये। जनपद के जनप्रतिनिधियों से अवलोकन/लोकार्पण कराये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

8. आई०एस०ए० के कार्यों की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि कुछ संस्थाओं द्वारा त्रुटि पूर्ण अभिलेख जमा किये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि आई०एस०ए० संस्थाओं को अभिलेख सही कर जमा करने हेतु पत्र भेजा जाये तथा ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता करने हेतु निर्देशित किया जाये। जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है वहाँ पर सबमर्सिबल का उपयोग बन्द किये जाने हेतु भी आई०एस०ए० द्वारा लोगों को जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त आई०एस०ए० संस्थायें)

9. अधिशाली अभियन्ता द्वारा अन्य बिन्दु प्रस्तुत किये गये जो निम्नानुसार हैं:-
(1) अधिशाली अभियन्ता द्वारा बैठक में EOT की भी पत्रावली प्रस्तुत की गई जिसे बैठक में पारित कर दिया गया।
(2) सहायक अभियन्ता यांत्रिक खण्ड द्वारा बैठक में Source Sustainable की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे बैठक में पारित कर दिया गया।

(इसी के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।)

(निधि गुप्ता वत्स)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।

पृ०सं०: 851 / M-22 / 01

दिनांक: 12-05-2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर।
4. जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
6. अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
7. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), फतेहपुर।
8. अधिशाली अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
10. डी०पी०एम०, मे० मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) जनपद-फतेहपुर।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावरमेक/भूस्थान (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी०ए०इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
फतेहपुर।